पत्रावली V/ 1 प्रकार
न्यायालय उपखंड अधिकारी / पदेन सहायक कलक्टर करेडा (भीलवाड़ा)
प्रा०पत्र 47/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
12/04/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित परोकार-सरकार उपस्थित। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अपने प्रा०पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रा०पत्र धारा 136 राज० भू-राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम रूपायला प०ह० चिताम्बा त- करेडा के आ०नं. 314, 315, 316, 322, 323, 324, 325 326 कुल किता 08 रकबा 5.2205 है० भूमि स्थित है। जिसमे जमाबन्दी सम्वत 2065-68 की आ०नं. 186, 187, 188, 193, 194, 195, 196 मे सेटलमेन्ट के दौरान लिपिकिय त्रुटि हो जाने से पन्ना पि० रांगा गुर्जर का हिस्सा 1/3 की जगह 1/6 दर्ज हो गया जो गलत है जबकि सम्वत 2061-64 की जमाबन्दी के खाता संख्या 20 मे दर्ज रिकार्ड है जिसमे पन्ना पि० रांगा गुर्जर का हिस्सा 1/3 दर्ज है जिसमे पन्ना पि० रांगा गुर्जर का हिस्सा जमाबन्दी मे 1/6 के बजाय $\frac{1}{3}$ दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे बहस पर मनन किया उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन, तहसील-दार करेडा की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है. एतद्‌ ..."आदेश"... ग्राम रूपायला प०ह० चिताम्बा तहसील-करेडा के आ०नं. 314, 315, 316, 322, 323, 324 326 कुल किता 08 रकबा रकबा 5.0220 है०	

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:45:28 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) — करेड़ v/s सरकार — प्रा0पत्र 47/22	
	भूमि मे जमाबन्दी 2057 से 2060 के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी 2073-2076 मे पन्ना के वारिसान का हिस्सा 1/6 के बजाय 1/3 दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:45:28 IST
Reason: SelfAttested